

101

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

Ag - 1888-I-1

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

गोपाल मेश्वाम उम 57 वर्ष पिता श्री रामचरण मेश्वाम जाति गौड (आदिवासी)

निवासी ग्राम खुरसी पोस्ट संगड़ा झपनी, तहसील

व जिला जबलपुर

— आवेदक

विरुद्ध

- 1- मठारा शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर
- 2- श्री अशोक कुमार पटेल उम 42 वर्ष पिता श्री तोड़ीलाल पटेल
निवासी 23, म.नं. 16 पुरानी बस्ती कजरवारा, जबलपुर
श्री संतोष कुमार साहू उम 26 वर्ष पिता श्री विष्णु प्रसाद साहू
निवासी गोहलपुर जागृतिनगर, अमरेश जबलपुर
लखनील वार्ड अवल्या

— आवेदक

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/अ-21/2015-16 में पारित आदेश
दिनांक 06-06-16 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत
निगरानी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपार्क किए जाने चाहय है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत


R
R.M.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, नवालियर

प्रकारण क्रमांक - निग0 1888-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१५-६-१६.	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकारण क्रमांक 79/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6-6-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्के पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकारण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम परतला प.ह.नं. 85, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील व जिला जबलपुर इथित भूमि खसरा नं. 215 का कुल रकमा 0.660 हेक्टर को अनावेदक क्रमांक २ एवं ३ को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा पुनः इस निर्देश के साथ भेजा गया है कि वे वर्तमान  </p>	



R 1888 I/16


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>गाइड लाइन वर्ष 2016-17 के आधार पर भूमि के मूल्य की गणना कर स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि वर्ष 15-16 की गाइड लाइन के अनुसार आवेदित भूमि की कीमत 2,70,000/- होती है जबकि भूमि का सौदा 3,30,000/- में किया गया है। उनका यह भी कहना है कि जिलाध्यक्ष ने वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के अनुसार भूमि की गणना कर प्रतिवेदन देने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिए हैं जबकि आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष नियत पेशी को उपस्थित होकर मोखिक रूप से यह निवेदन किया गया था कि वे वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर ही भूमि का विक्रय करेंगे। केताओं द्वारा भी इसी प्रकार का कथन किया गया था किंतु इस ओर कलेक्टर द्वारा घ्यान नहीं दिया गया और पुनः प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं। मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास कर्य करने के उपरांत आई है। आवेदित भूमि कम उपजाऊ है। आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है। भूमि</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग० 1888-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है। उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.36 हैक्टर भूमि शेष बचती है। अनुविभागीय अधिकारी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें विक्रय संव्यवहार से आवेदन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, किंतु इसका कोई कारण नहीं दिया है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में वर्ष 2015-16 के आधार पर आवेदित भूमि का मूल्य 2,70,000/- बताया है जबकि सौदा 3,30,000/- में हुआ है जो गाइड लाइन से अधिक है। जिलाध्यक्ष द्वारा 2016-17 की गाइड लाइन के आधार पर गणना करने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि आवेदक द्वारा अपने निगरानी मेमो में एवं तर्कों में यह बात कही गई है कि वे वर्तमान गाइड लाइन 2016-17 के अनुसार या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होने पर ही भूमि का विक्रय करेंगे और केतागण वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार मूल्य देने को सहमत हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम परतला प.ह.नं. 85, रा.नि.मं. खमरिया, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 215 का कुल एकबा 0.660 हैक्टर को विक्रय करने की</p>	



गोपाल मेश्राम विरुद्ध शासन आदि

R 1888 I/16

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रक्षतावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</p> <p>2- केतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिग्राम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</p> <p>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों।</p> <p><i>(Signature)</i> (एम०क०० सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश रवालियर</p>	